सं.ए 27012/02/2017- स्था. (एएल)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
*****

ब्लॉक-IV, ओल्ड जे.एन.यू कैंपस, नई दिल्ली
दिनांक: 01 जुलाई, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कोविड-19 महामारी लॉकडाउन अवधि के दौरान बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) पर स्पष्टीकरण।

इस विभाग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों से कई संदर्भ/प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा महामारी की स्थिति में, विद्यालय द्वारा माता-पिता को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से परिणाम/रिपोर्ट कार्ड नहीं भेजे गए थे, और शुल्क भी ऑनलाइन जमा किया जा रहा है, और माता-पिता को सीईए का दावा करने में कठिनाई हो रही है।

2. मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि इस विभाग के दिनांक 17 जुलाई, 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-27012/02/2017- स्थापना (एएल) के पैरा 2(बी) में छूट देते हुए, केवल मार्च, 2020 और मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले शैक्षणिक वर्षों के लिए दावों के निर्धारित तरीकों के अलावा, संबंधित कर्मचारियों से लिए स्व-प्रमाणन या परिणाम/रिपोर्ट कार्ड/शुल्क भुगतान के ई-मेल/एसएमएस के प्रिंटआउट के माध्यम से भी सीईए दावों पर विचार किया जा सकता है।

3. केन्द्रसरकार के कर्मचारी के पक्ष में पहले से निपटाए गए मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है।

(सुनील कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 26164316

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. एनआईसी को इस कार्यालय ज्ञापन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।